Daily Dainik Jagran 22/6

D 22/6

# नए तरीके से रखना होगा हिसाब

- वित्त मंत्री ने जारी किए राज्यों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश
- अगले वर्षों के संभावित खर्च का भी करना होगा बही-खाते में जिक्र

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : राज्यों को अब नए तरीके से वित्तीय हिसाब-किताब रखना होगा। भावी वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में अब उन्हें ज्यादा साफ तौर पर बताना होगा। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यों को सचेत किया है कि हिसाब-किताब रखने के नए तरीके को अपनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इससे राज्यों को कई तरह के फायदे भी होंगे।

राज्यों के हिसाब-किताब के मौजूदा तौर-तरीकों में बदलाव के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। अभी राज्य के खाता-बही रखने का तरीका नकदी आधारित है। इसमें किस मद में पैसा मिलता है और कहां खर्च होता है उसका उल्लेख होता है। नई व्यवस्था (एक्रुअल आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग) में राज्यों के भविष्य की देनदारियों और उन पर पड़ने वाले बोझ का भी विस्तार से उल्लेख होगा। मसलन, अभी राज्यों के वित्तीय खातों में आगामी वर्षों में पेंशन मद में होने वाले खर्च का कोई उल्लेख नहीं होता है। नई व्यवस्था में इसका उल्लेख करना होगा। इससे राज्यों की माली हालत की ज्यादा बेहतर तस्वीर सामने आएगी।

नई दिल्ली में मंगलवार को एक सम्मेलन में 'एकुअल आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग' पर दिशानिर्देश जारी करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय के साथ वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। प्रेट्र

मुखर्जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई एक्रुअल आधारित एकाउंटिंग व्यवस्था इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि अब विदेशी सरकारें व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां वित्तीय मदद देने के लिए इसकी शर्त रखने लगी हैं। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे इसे लागू करने में पूरी मदद करें। इससे वित्तीय अनुशासन कायम करने में काफी मदद मिलेगी और राज्यों के दायित्वों का सही तरीके से आकलन किया जा सकेगा।

इस सम्मेलन को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एक्रुअल आधारित एकाउंटिंग व्यवस्था लागू करने में पांच से छह वर्ष का समय लगेगा। कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर यह लागू किया गया है जिसके परिणाम काफी संतोषप्रद हैं। 21 राज्यों ने अब तक इसके लिए मंजूरी दे दी है। रेलवे व डाक विभाग सहित कई केंद्रीय विभाग भी इस नई व्यवस्था को अपना रहे हैं।